

अध्याय ॥

कारण बताओं नोटिस जारी करना तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया

2.1 प्रस्तावना

अधिनिर्णयन केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग के अधिकारियों का एक अर्द्धन्यायिक अधिकार है। अधिनिर्णयन के बाद यह एक उचित दंड आरोपण के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि लागू कानूनों/नियमों/विधियों इत्यादि के उल्लंघन के कारण कोई राजस्व हानि न हो। यद्यपि, अगर एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जाता है या दंड, अपराध की प्रकृति द्वारा अनुबद्ध दंड से अधिक मिलता है, यह कर दाता तथा सरकार के मध्य विश्वास को दुर्बल कर देता है। यदि दूसरी ओर, कानून द्वारा प्रदत्त दंड से एक वास्तविक अपराधी बच निकलता है, यह सरकार तथा ईमानदार करदाता दोनों की क्षति के लिए अपराधों के कृत्यों को उत्साहित कर सकता है।

नहीं चुकाए कर, कम चुकाए गए या त्रुटि से वापसी की मांग, गलत वर्गीकरण, सैनवैट क्रेडिट से गलत तरीके से उठाया लाभ, जुर्माना लगाने इत्यादि से संबंधित स्थितियां हो सकती हैं। यह अनिवार्य है कि एक कारण बताओं नोटिस (एससीएन) जारी किया जाए, यदि विभाग किसी कार्य को निर्धारिती के विरुद्ध हानि कारक कदम उठाने के बारे में सोचता है। एससीएन कथित रूप से कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का विवरण करेगा तथा नोटिस प्राप्त करने वाले से कारण बताने लिए पूछेगा कि अधिनियम/नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। इस प्रकार, एक एससीएन, नोटिस प्राप्त करने वाले को उसके पक्ष को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है।

उन मामलों में जहां सेवा कर नहीं चुकाया गया या कम चुकाया या त्रुटि से वापसी हुई, एक सामान्य मामले में (27 मई 2012 तक एक वर्ष के अन्दर) सुसंगत तिथि से अठारह महीनों के अन्दर तथा शुल्क के भुगतान से बचने या गलत वापसी पाने के इरादे के साथ, धोखेबाजी, मिलीभगत, तथ्यों को जान

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

बूझ कर दबाना इत्यादि के मामले में, सुसंगत तिथि से पांच वर्षों के अन्दर एससीएन जारी करना होगा।


इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 1994¹⁸ में यह प्रबंध किया गया है कि जहाँ ऐसा करना संभव हो, एससीएनज को निर्णय व्यक्ति पर नोटिस जारी करने की तिथि से सामान्य मामलों में छह महानों के अन्दर तथा अवधि बढ़ाए गए मामलों में एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।

अधिनिर्णय की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के निरीक्षण सिद्धान्तों द्वारा आयोजित की जाएगी। नोटिस प्राप्त करने वाले को मामले के निर्णय से पहले एक व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) दी जाएगी। अधिनिर्णय की कार्रवाई की पूर्णता के बाद मूल में एक लिखित आदेश (ओआईओ) दिया जाएगा जो मामले के तथ्यों तथा अधिनिर्णय आदेश के औचित्य का विवरण देगा। इस प्रकार, तात्कालिक शुरूआत तथा अधिनिर्णय मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने का विचार है। अधिनिर्णय की प्रक्रिया नीचे चार्ट में दर्शाई गई है:

¹⁸ 6 अगस्त 2014 से प्रभावी

चार्ट 2.1

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 के अन्तर्गत एससीएन तथा अधिनिर्णय प्रक्रिया



2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना था:

- क) अधिनिर्णयन प्रक्रिया संबंधित समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों अधिसूचना, परिपत्रों/निर्देशों इत्यादि की सटीकता।
- ख) क्या मौजूदा कानूनी प्रावधानों की सटीकता के साथ अनुपालना की जा रही है;
- ग) क्या एक प्रभावी निगरानी और आन्तरिक नियंत्रक तंत्र मौजूद था।

2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कवरेज

इस लेखापरीक्षा में हमने 36 कमिशनरियों के अंतर्गत 92 डिवीजनों के साथ और रेंजों को कवर किया।

इसके अतिरिक्त हमने अभी भी अंतिम रूप दिये जाने शेष 2580 अधिनिर्णित मामले, 5767 अधिनिर्णित मामले, जारी हेतु लंबित 394 ड्राफ्ट एससीएन, 1837 कॉल बुक मामले और अधिनिर्णय स्तर पर राजस्व के प्रति निर्णित 849 मामलों की जांच की। वि व 12 से वि व 14 की अवधि को कवर किया गया।

2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने ₹ 95.14 करोड़ के राजस्व सम्मिलित 964 मामलों में अनियनितताएं देखीं। मुख्य निष्कर्षों का सार नीचे इस प्रकार है :

- (i) ₹ 3.34 करोड़ के राजस्व सहित एससीएन के दैर से जारी करने के कारण समय बाधित के रूप में अधिनिर्णयन में आठ मांगों का निष्कर्ष निकाला गया।
- (ii) 36 मामलों में निर्धारित समयावधि में एससीएन जारी नहीं किये गये थे, जिसमें से ₹ 22.17 करोड़ के राजस्व संबंधी निहितार्थ 23 मामले शामिल थे और शेष 23 मामलों में शामिल मूल्य की विवरणों के अभाव में गणना नहीं की जा सकी।
- (iii) ₹ 21.08 करोड़ राजस्व वाले 46 मामले दो वर्षों से अधिक से अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे।

(iv) ₹ 22.35 करोड़ राजस्व वाले 52 मामले कॉल बुक में अनियमित रूप से रखे गये थे।

निष्कर्षों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.5 एससीएन को जारी करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(1) अन्य विषयों के साथ-साथ यह परिकल्पित करती है कि जहां सेवा कर अदा नहीं किया गया या कम अदा किया गया या गलती से वापस कर दिया गया है, वहां सामान्य मामले (27 मई 2012 तक एक वर्ष के अंदर) में प्रासंगिक तिथि से अठारह महीनों के अंदर और शुल्क भुगतान टालने के लिए या गलत प्रतिदाय प्राप्त करने की इच्छा के साथ धोखाधड़ी, सांठ-गांठ, जानबूझकर तथ्यों को छुपाने आदि के मामले में प्रासंगिक तिथि से पांच वर्षों के अंदर ही एससीएन दी जानी होती है।

स्वचालन के युग में, जहां समय सीमाओं को सुधारने पर ही ध्यान होता है, यह देखा जा सकता है कि सामान्य मामले में एससीएन को जारी करने के लिए समय सीमा 28 मई 2012 के बाद एक वर्ष से अठारह महीनों तक बढ़ाई गई थी। परंतु अभी भी यह देखा गया कि सामान्य मामलों में भी एससीएन जारी करने के लिए यह बढ़ाई गई अवधि की मांग की गई थी। विधि में विनिर्दिष्ट समय सीमाएं एससीएन हेतु बाह्य सीमाएं निर्धारित करती हैं। परंतु नीचे दी गई चर्चा की गई आपत्तियों से यह देखा जा सकता कि, इस कार्य को न्यूनतम संभव समय में पूरा करने के स्थान पर, बढ़ाई गई अवधि का खंड पूर्व चर्चित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कुछ मामलों में याचना मांगा गया था।

2.5.1 एससीएन को जारी करने के लिए बढ़ाई गई समयावधि का आवाहन

चार कमिशनरियों¹⁹ में आठ मामलों में हमने यह पाया ही एससीएन जिसे बढ़ाई गई अवधि का आवाहन करते हुए जारी किये गये थे, जैसा कि अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया था, वह विधि के प्रावधानों के

¹⁹ गुवाहाटी, कोलकाता एसटी, चंडीगढ़ और उदयपुर

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

अनुसार उपयुक्त नहीं थी। इस प्रकार, विभाग द्वारा समय पर एससीएन जारी करने की विफलता के कारण ₹ 3.34 करोड़ की राजस्व हानि हुई। सभी मामलों में (नवंबर 2015) मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया। एक मामला नीचे दर्शाया गया है :-

2.5.1.1 चंडीगढ़-1 कमिशनरी में, ₹ 2.86 करोड़ धन मूल्य वाले दो एससीएन 5 वर्षों की बढ़ाई गई अवधि के प्रावधान की मांग कर लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशंस को जारी (अक्टूबर 2010 और अप्रैल 2011) जारी किया गया था यद्यपि, समय बाधित के रूप में अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेते हुए मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था। इस कारण ₹ 2.86 करोड़ की राजस्व हानि हुई। आदेश के प्रति विभाग द्वारा कोई अपील नहीं की गई।

जब हमने इसे इंगित (मई 2014) किया, मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार (नवंबर 2015) किया और कहा कि विभाग ने सेसटैट में आदेश के प्रति अपील फाइल की।

2.5.2 कारण बताओ नोटिस जारी करना

नौ कमिशनरियों²⁰ में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 36 एससीएन में निर्धारित समयावधि में जारी नहीं की गई थी। इनमें से, 23 मामले जिसके लिए विवरण उपलब्ध थे, ₹ 22.17 करोड़ के राजस्व अनुमान शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप ये एससीएन समय बाधित भी हो सकते हैं। मंत्रालय ने 18 मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया (नवंबर 2015) और 18 मामलों में कहा कि रिपोर्ट भेजी जाएगी। कुछ मामलों में मंत्रालय ने आंतरिक लेखापरीक्षा दलों या निर्धारीतियों से आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता से होने वाले विलंब को कारण बताया, जिसके कारण मांग को जारी नहीं किया जा सका। उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता था चूंकि दस्तावेजों को प्राप्त होने के विलंब को कम किया जाना चाहिए था और इसके अतिरिक्त समय-सीमा से बचने के लिए कुछ यथार्थ आधार वाले किसी अपवाद मामले में, विभाग के पास अधिनिर्णय से पहले मांग की मात्रा के बिना एससीएन जारी

²⁰ गुवाहाटी, शिलोंग, दुर्गापुर, कोलकाता एसटी, कोलकाता एसटी-ii, जयपुर-1, इंदौर, कोयंबटूर और मुंबई एसटी-iv

करने, और मात्रा निर्धारित करने तथा सूचित करने के लिए विकल्प होता है। नीचे तीन निर्दर्शी मामले इस प्रकार हैं।

2.5.2.1 दिनांक 13 अक्टूबर 2010 के विशेष सचिव और सदस्य के पत्र के अनुसार, जहां कमिशनरी द्वारा लेखापरीक्षा आपति को स्वीकार किया गया है, वहां तुरंत तथा किसी भी हाल में 30 दिनों के बाद एससीएन जारी किया जाना चाहिए।

कोलकाता सेवा कर कमिशनरी में, वोडाफोन इस्सार ईस्ट लिमि. पर ₹ 73.44 लाख के ब्याज सहित ₹ 16.75 करोड़ की राशि वाला सेरा आपति, जिसे मई 2010 में जारी किया गया था, को जुलाई 2011 में स्वीकृत किया गया। परंतु अगस्त 2013 अर्थात् काफी समयावधि प्राप्त करने के बाद उपरोक्त आपति को स्वीकार करने की तिथि से काफी बाद में एससीएन जारी की गई थी यद्यपि, चूंकि मामला सेरा आपति के आधार पर विभाग की नजर में आ चुका था, ऐसी बढ़ाई गई अवधियाँ समय सीमा बाधित द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। अतः विभाग द्वारा उपरोक्त को देखते हुए मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए 30 दिनों के अंदर एससीएन जारी कर देने चाहिए थे।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2014), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2015) कि एससीएन आगे की जांच और आगे किसी राशि की मात्रा जानने के कारण विलंबित हुए।

2.5.2.2 सेवा कर-1 कमिशनरी, मुंबई में, आंतरिक लेखापरीक्षा आपति के आधार पर (सितंबर 2008 में की गई) जनवरी 2006 से मार्च 2007 की अवधि से संबंधित ₹ 2.05 करोड़ की मांग दर्शाते हुए जनवरी 2013 में इंडियन ऐयरलाइंस लिमि. को एससीएन जारी किया गया था। उक्त मांग एससीएन को जारी करने में विलंब के कारण समय सीमा द्वारा बाधित हो सकती है।

जब हमने इसे इंगित किया (सितंबर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2015) कि रिपोर्ट भेजी जाएगी।

2.5.2.3 मै. सेलवेल एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमि. कोलकाता में, सेवा कर कमिशनरी ने बढ़ी समयावधि का आवाहन करते हुए एडवरटाइजिंग सेवाओं के अंतर्गत सेवा कर की मांग करते हुए 1998-99 से 2000-01 की अवधि को कवर करते हुए अप्रैल 2006 में एससीएन जारी किया। इसी मामले पर, अक्टूबर 2004 और मार्च 2005 की अवधि को कवर करते हुए आवधिक एससीएन भी जारी किया गया था और विभाग द्वारा विरोध करते हुए कॉल बुक में भी हस्तांतरित किया गया। यद्यपि, विभाग ने ₹ 2.02 करोड़ के राजस्व सहित 2001-02 से सितंबर 2004 की अवधि हेतु मांग की। इस प्रकार, विभाग द्वारा समय पर एससीएन के जारी न किये जाने के परिणामस्वरूप मामला समय बाधित हो सकता है।

जब हमने इसे इंगित किया (जून 2014), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2015) कि कमिशनरी की पुनः संरचना के कारण के फाईल उपलब्ध नहीं थी।

2.5.3 आंतरिक लेखापरीक्षा पैराओं को बंद करने से पूर्व जुर्माने का उद्घाटन

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (4ए) व्याज एवं जुर्माने का प्रावधान करती है जहाँ किसी लेखापरीक्षा, जाँच या सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है के कोई सेवा कर अदा नहीं किया गया था कम अदा किया गया, परंतु लेन-देनों के वास्तविक और पूर्ण विवरण विनिर्दिष्ट रिकॉर्ड में उपलब्ध है। यह धारा प्रावधान करती है कि सेवा कर के लिए प्रभारित कोई व्यक्ति, उस पर अधिसूचना जारी होने से पहले धारा 75 के अंतर्गत उस पर देय व्याज के साथ-साथ पूर्ण या आंशिक सेवा कर और कर राशि के पच्चीस प्रतिशत के अधिकतम तक उस अवधि तक जब तक यह चूक होती रही, प्रत्येक महीने के लिए ऐसे कर के एक प्रतिशत के समान जुर्माना अदा कर सकता है और ऐसे भुगतान के बारे में लिखित में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को सूचित करेगा और सेवा कर की उक्त राशि के संबंध में कार्यवाही को भी पूर्ण समझा जाएगा।

हमने देखा कि पांच कमिशनरी²¹ में 30 मामले धारा 73 (4ए) के अंतर्गत प्रावधानों के उल्लंघन में ₹ 3.14 करोड़ राशि के जुर्माने का उद्घाटन किये

²¹ बोलपुर, मुंबई, एसटी-1, मुंबई एलटीयू, औरंगाबाद और नोयडा

बिना बंद कर दिये। मंत्रालय ने 23 मामलों में तथ्य (नवंबर 2015) स्वीकार किये और कहा कि सात मामलों में रिपोर्ट का अनुसरण किया जाएगा। दो कमिशनरियों के संबंध में देखे गये मामलों को नीचे इस प्रकार प्रकाश में लाया गया है:-

2.5.3.1 नोयडा कमिश्नरी में, 20 निर्धारितियों के संबंध में आपत्तियां निपटाई गई थी क्योंकि उन्होंने व्याज सहित सेवा कर बकाया का भुगतान कर दिया था। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (4ए) के अंतर्गत प्रावधान का उल्लंघन करते हुए ₹ 89.68 लाख की जुर्माना राशि का उद्घाटन किये बिना पैरा निपटा दिये गये थे।

जब हमने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2015) कि उस मामले पर उचित कार्रवाई की जा रही थी।

2.5.3.2 एसटी-1 मुंबई कमिश्नरी में, धारा 74 (4ए) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.75 करोड़ राशि चार निर्धारितियों²² के प्रति जुर्माना उद्घाटन के बिना व्याज की वसूली हेतु मामलों/निर्देशों का बंद कर दिया गया थे।

जब हमने इसे इंगित किया (सितंबर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2015) कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जा रही थी।

2.5.4 गलत प्रतिदाय

अन्य विषयों के साथ-साथ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (1) यह दर्शाती है कि जहां कोई सेवा कर की गलती से वापसी की गई है, वहां (28 मई 2012 से अठारह महीनों के अंदर) प्रासंगिक तिथि से एक वर्ष के अंदर एससीएन जारी कर दी जानी चाहिए। धारा 84 की उप-धारा 2 यह प्रावधान करती है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी निर्णय संप्रेषण या अधिनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश की तिथि से तीन महीनों की अवधि के अंदर समीक्षा आदेश पास कर सकता है।

कोलकाता सेवा कर कमिश्नरी में, यह देखा गया कि 50 मामलों में गलत प्रतिदाय संस्वीकृत (नवंबर 2010 से मई 2011) किये गये थे। इसके अतिरिक्त, संवीक्षा से पता चला के केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) कमिश्नर ने 50 मामलों

²² एटोसऑरिजन इंडिया प्रा.लिमि. हिंदूस्तान डोर-ओलीवर लिमि. हयूडई और एमएससी एजेंसी इंडिया

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

मैं इन प्रतिदाय आदेशों के प्रति फाईल की गई अपीलों के निर्णय समय बाधित (नवंबर 2011 और जनवरी 2012) किये क्योंकि इन सभी मामलों में, समीक्षा आदेश अधिनिर्णयन प्राधाकारी के निर्णय के संप्रेषण की तिथि से तीन महीनों की सांविधिक सीमा के बाद पास किये गये थे। यह भी देखा गया था कि कमिशनर ने 44 मामलों में बिना विलंब गलत प्रतिदाय की वसूली हेतु एससीएन जारी करने के लिए क्षेत्राधिकारी उप-कमिश्नर से अनुरोध किया (फरवरी 2012) जहां पर विभागीय अपील कमिशनर (अपील) द्वारा रद्द कर (नवंबर 2011) दी गई थी। लेखा परीक्षा ने पाया कि कमिश्नर का आदेश फरवरी 2012 में सूचित कर दिया गया था और इस समय तक, 14 मामलों में ओआईओ के पास होने की एक वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। विभाग से जारी एससीएन यदि कोई जारी की गई थी, और 47 मामलों में अधिनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश प्रस्तुत नहीं किये।

इसके अतिरिक्त 50 मामलों में से 14 मामलों में लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराये गये समीक्षा आदेशों से यह पता चला कि गलती से संस्थीकृत की गई राशि ₹ 41.36 लाख थी। इस प्रकार, प्रतिदाय आदेशों की तिथि से एक वर्ष के अंदर गलत प्रतिदाय की वसूली हेतु एससीएन को विलंब से जारी करने/जारी न करने के परिणामस्वरूप एससीएन समय बाधित हुए।

हमने यह इंगित किया (सितंबर 2014) और मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2015)।

2.5.5 एससीएन की पूर्णता

अधिनिर्णय नियमपुस्तक के सीबीइसी के ड्राफ्ट के अनुसार, एससीएन में मांगी गई राशि अवश्य दर्शाई जानी चाहिए। यदि “नोटिस एक आधार पर आधारित है, तो मांग को अन्य आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आदेश एससीएन से बाहर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (1) अन्य विषयों के साथ साथ यह दर्शाती है कि सेवा कर के भुगतान न करने/कम भुगतान के मामले में, एससीएन सामान्य मामले (28 मई 2012 से 18 महीनों के अंदर) में एक वर्ष के अंदर और शुल्क भुगतान से बचने की या गलत प्रतिदाय प्राप्त करने की इच्छा के साथ

धोखाधड़ी, सांठ-गांठ, जानबूझकर तथ्यों को छुपाने आदि के मामले में पांच वर्ष के अंदर दी जानी होती है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने स्पष्ट किया²³ (अक्टूबर 2007) कि एससीएन से पहले सेवा कर और ब्याज के भुगतान पर सभी कार्यवाहियों का समापन माना जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि धारा 73 (3) के रूप कार्यवाहियों का निष्कर्ष वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों के समापन माना जाएगा।

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (3) के अनुसार, सेवा कर के भुगतान न करने/कम भुगतान करने के मामले में, सेवा कर देने को प्रभारित व्यक्ति अपनी स्वंय के अभिनिश्चयन आधार पर या उन पर अधिसूचना दिये जाने से पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा कर अधिनिर्वयन के आधार पर उक्त का भुगतान किया जा सकता है और लिखित में ऐसे भुगतान के बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को सूचित किया जा सकता है, जो ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर किये गये भुगतान के संबंध में कोई अधिसूचना नहीं देगा।

आठ कमिशनरियों²⁴ में 22 मामलों में हमने देखा कि ब्याज और जुमाने के साथ ₹ 20.68 की मांगे या तो गलती से या अदा की गई। अदा न की गई सेवा कर राशि एससीएन नहीं दर्शाती अतः अधिनिर्णयन आदेशों में छोड़ दी गई थी। इसके अतिरिक्त, एससीएन 12 मामलों में जारी कर दिये गये थे यद्यपि ब्याज सहित सेवा कर निर्धारिती द्वारा पहले ही अदा कर दिया गया था और दो मामलों में सेवा कर की अधिक राशि संगणना में अंकगणितीय गलती के कारण मांगी गई थी। मंत्रालय ने 15 मामलों में लेखा परीक्षा आपत्ति स्वीकार (नवंबर 2015) की और छः मामलों में कहा कि रिपोर्ट भेजी जाएगी। एक मामले में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया, जिसे एक और अन्य मामले के साथ नीचे दर्शाया गया है:-

2.5.5.1 गुवाहाटी कमिशनरी में, सितंबर 2003 से अप्रैल 2007 की अवधि के लिए ₹ 2.17 करोड़ की मांग दर्शाते हुए एक एससीएन निर्धारिती द्वारा

²³ पत्र सं. 137/167/2006 सीएक्स-4- दिनांक 03/07/2007

²⁴ गुवाहाटी, शिलांग, बोलपुर, कोलकाता-एसटी, बड़ोदरा, विशाखापटनम-I, हैदराबाद II और हैदराबाद III

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

अनियमित रूप से प्राप्त किये गये सेनवैट क्रेडिट की वसूली हेतु निर्धारिती, महाप्रबंधक, बीएसएनएल (लैंड लाइन) को जारी की गई (मार्च 2009)। हमने पाया कि अपनी ओआईओ (मार्च 2013) में अधिनिर्णयन अधिकारी ने व्याज और जुर्माने सहित मांगों को समाप्त कर दिया चूंकि एससीएन में बढ़ाई गई अवधि की मांग हेतु कोई प्रस्ताव नहीं था।

जब हमने इसे इंगित किया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार (नवंबर 2015) नहीं किया और कहा कि चूंकि इस मामले को 'जान बुझ कर दबाया' गया था और बढ़ाई गई अवधि का अपने आप मांग लागू हो जाएगा।

यद्यपि, यह तथ्य अभी भी है कि एससीएन में बढ़ाई गई अवधि के मांग न किये जाने के कारण एससीएन को अधिनिर्णय में समाप्त कर दिया गया था और इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी।

2.5.5.2 विशाखापटनम-I कमिशनरी में, मैं, इस्सके शिपिंग प्रा.लिमि. के विरुद्ध पोर्ट सेवाओं के अंतर्गत ओआईओ में ₹ 25.01 करोड़ की राशि की पुष्टि की (अक्टूबर 2011)। यद्यपि, एससीएन के साथ संलग्न संगणना के सत्यापन से पता चला कि सेवा कर की मांगी जाने वाली वास्तविक राशि ₹ 9.24 करोड़ होगी। इस प्रकार, 2009-10 और 2010-11 की अवधि के दौरान ₹ 15.77 करोड़ की एससीएन राशि की अधिक मांग की गई थी। यह संगणना में अंकगणितीय गलती के कारण हुआ।

जब हमने इसे इंगित किया (सितंबर 2014) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार (नवंबर 2015) की, कहा कि एससीएन में रेलवे मामलों को कर योग्य नहीं बताया गया, उसे कर योग्य मूल्य में शामिल कर लिया गया था और यह एक लिपिकीय चूक लग रही थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि ₹ 25.01 करोड़ के रूप में ओआईओ में मांग की पुष्टि की गई थी।

विभाग का तर्क कि एससीएन में ₹ 15.77 करोड़ की गलत राशि एक लिपिकीय चूक थी, स्वीकार्य नहीं हैं और एससीएन अधिनिर्णय के समय पर ऐसी बड़ी गलती नहीं देखी गई। मामले में प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2015)।

2.5.6 एससीएन शामिल करना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 सी सेवा कर पर भी लागू होती है, यह दर्शाता है कि कोई एससीएन प्रदान किया जाएगा, क) प्राप्त करने वाले व्यक्ति या उसके प्राधिकृत एजेंट को देय पावती के साथ पंजीकृत डाक के साथ इसे भेज कर, ख) यदि यह बताये गये उक्त रूप से नहीं भेजी जा सकती, तब फैक्टरी या वेयर हाऊस में प्रत्यक्ष स्थान पर एक प्रति चिपकाई जा सकती है, ग) यदि यह संभव नहीं है, तब कार्यालय या प्राधिकारी जिसे सूचना आदि जारी की गई थी, वह सूचना नोटिस बोर्ड पर एक प्रति चिपकाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सीबीईसी ड्राफ्ट अधिनिर्णय नियमपुस्तक के अनुसार, प्राकृतिक न्याय के सबसे महत्पूर्ण सिद्धांतों में से एक यह है कि नोटिस प्राप्त करने वाले के खिलाफ कोई विपरीत आदेश पारित किये जाने से पहले उसको सुनने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

राजकोट कमिशनरी में हमने देखा कि सेवा कर मांग हेतु मै न्यू गज्जर इंजिनियरिंग जाम नगर के विरुद्ध एससीएन (अप्रैल 2010) निर्धारिती को नहीं सौंपा जा सका क्योंकि विभाग निर्धारिती को खोज नहीं सका। मामले को एससीएन सूचित किये बिना और व्यक्तिगत सुनवाई किये बिना अधिनिर्णित (नवंबर 2011) कर दिया गया था जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध था। हमने अवलोकन भी किया कि ओआईओ उक्त प्रावधान के उल्लंघन में निर्धारिती को सूचित नहीं किया गया था।

जब हमने यह इंगित किया (सितंबर 2014) मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2015) कि भविष्य में धारा 37 सी के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर मामले का अनुसरण किया जाएगा और कि इस संबंध में यथातथ्य उत्साह में निदेशों का अनुसरण किया जाएगा।

2.6 अधिनिर्णय की प्रक्रिया

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 की उप-धारा (2क) यह प्रावधान करती है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपराधों और मांगों को तेजी से निपटन करने के उद्देश्य से, यदि धोखाधड़ी के कारण, सांठ-गांठ या जानबुझकर किसी गलत विवरण या तथ्यों को छिपाने या इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के या शुल्क का भुगतान माफ करने की इच्छा से बनाये गये

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

नियमों के उल्लंघन जहां भी संभव हो सकता है, द्वारा उत्पाद शुल्क उद्घाहित या अदा या कम उद्घाहित किया गया या कम-अदा किया गया या गलती से प्रतिदाय किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के अंदर ऐसे शुल्क की राशि अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगा। इसके अतिरिक्त, अन्य किसी मामले में, जहां भी ऐसा करना संभव हो, वह उत्पाद शुल्क की राशि का निर्धारण करेगा जिसने उप धारा 11ए (1) के तहत व्यक्ति को नोटिस देने की तिथि से छः महीनों की अवधि के भीतर वसूली न की गई हो या कम वसूली की गई हो अथवा कम भुगतान किया गया हो या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया हो/यद्यपि सेवा कर के संबंध में ऐसे ही समान प्रावधान नहीं हैं।

यद्यपि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 33 क(1) नोटिस प्राप्त करने वाले को सुनवाई का अवसर देने के मामले में वित अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अनुसार सेवा कर भी लागू होगा। इसके अतिरिक्त, कार्यवाही केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 33 के दौरान किसी पार्टी को तीन बार से अधिक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एससीएन का उत्तर सामान्यतः तीस दिनों के समय में दिया जाता है।

2.6.1 लंबित अधिनिर्णय मामले

हमने सात कमिशनरियों²⁵ के रिकॉर्ड की नमूना जांच से अवलोकन किया कि सात कमिशनरियों²⁶ में 46 एससीएन 41 मामलों में ₹ 21.08 करोड़ के राजस्व सहित 31 मार्च 2014 तक दो वर्षों के बाद भी अधिनिर्णय लंबित थे, जिसे लेखापरीक्षा परिमाणित कर सके। 15 मामलों में तीन से पाच वर्षों के बीच विलंब तथा नौ मामलों में छः वर्षों से अधिक का विलंब था।

हमने जब यह इंगित किया (सितंबर 2015), मंत्रालय ने 38 मामलों में तथ्यों को स्वीकार (नवंबर 2015) किया तथा इसके अतिरिक्त यह कहा कि अधिनिर्णयन प्राधिकारियों में बार-बार परिवर्तन, श्रमबल और संरचनात्मक बाधाओं से अधिनिर्णयन में प्रक्रिया में विलंब हुआ। कई बार, चूंकि अधिनिर्णयन प्रक्रिया में काफी संख्या में दस्तावेजों का सत्यापन, गवाहों की प्रति-जाचं आदि

²⁵ चंडीगढ़- I, पंचकुला, दिल्ली एसटी, भोपाल, रायपुर कोयम्बटूर और बडोदरा-I

²⁶ भोपाल, चंडीगढ़- I, पंचकुला, दिल्ली एसटी, भोपाल, रायपुर, बडोदरा-I

शामिल होती है, ये सभी कारक भी अधिनिर्णयन प्रक्रिया में विलंब बढ़ाते हैं। इसके अतिरक्त, आठ मामलों में मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट भेजी जाएगी।

2.6.2 व्यक्तिगत सुनवाई का निर्धारण

केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 33(ए)(1) के अनुसार, जो सेवा कर के लिए भी लागू है, अधिनिर्णय प्राधिकरण पार्टी को सुनवाई का अवसर देगी। “हैदराबाद-॥ कमिशनरी के 11 मामलों में हमने अवलोकन किया कि एससीएन जारी करने के दो वर्षों से अधिक समय के बाद भी निर्धारितियों की व्यक्तिगत सुनवाई नहीं की गई।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया और चार मामलों में अधिनिर्णयन प्रक्रिया शुरू की गई। आगे यह भी कहा गया कि सात मामलों में ईपीसी/चल रही परियोजनाओं, जिससे ये संबंधित थीं; माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विभाग की अपील लंबित होने के कारण फाईलें अधिनिर्णयन हेतु लंबित थीं। आगे की संवीक्षा से पता चला कि इन सात मामलों में से चार को, जिसके लिए कमिशनरी द्वारा विवरण उपलब्ध कराए गए थे, उनको नवम्बर 2015 में ही कॉलबुक में स्थानांतरित कर दिया गया था। अंतर्निहित था कि इन चार मामलों में, जिसमें एससीएन जारी किए गए थे, न तो अधिनिर्णयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और न ही तीन वर्षों तक मामलों को कॉलबुक में स्थानांतरित किया गया था।

2.6.3 व्यक्तिगत सुनवाई का प्रतिपादन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 33ए के अनुसार जो सेवा कर पर भी लागू है, निर्णायक प्राधिकरण किसी पक्ष को सुनने का अवसर देगा और सुनवाई स्थगित करेगा तथा कार्यवाही के दौरान पार्टी को तीन बार से अधिक ऐसा स्थगन नहीं दिया जाएगा।

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

नमूना जाँच के दौरान हमने 16 कमिशनरियों²⁷ में 208 मामलों में उपरोक्त विधिक प्रावधानों के उल्लंघन में पार्टियों को तीन बार से अधिक स्थगन दिया गया था।

स्थगन की संख्या 4 से 12 थी।

जब हमने इसे बताया (जून 2014 से अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने 193 मामलों में स्थगन का कारण न्यायिक प्राधिकरण के स्थानान्तरण, निर्धारिती के अनुरोध, व्यक्तिगत सुनवाई में पार्टियों का न पहुँचना बताया (नवम्बर 2015) और कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन हेतु विस्तार दिए गए थे। 15 मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

2.6.4 व्यक्तिगत सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित अवधि के भीतर न्यायिक आदेश जारी करना

बोर्ड के परिपत्र दिनांक 20 सितम्बर 2010²⁸ के पैरा 3 के अनुसार, सभी मामलों में जहाँ व्यक्तिगत सुनवाई पहले ही पूरी हो गई है, व्यक्तिगत सुनवाई की पूर्णता तिथि से एक महीने के भीतर सामान्यतः आदेश जारी किया जाना चाहिए था।

हमने देखा कि विभाग ने 21 कमिशनरियों²⁹ के 472 मामलों में 01 दिन से दो वर्षों तक की देरी (पार्टियों को दी गई अंतिम व्यक्तिगत सुनवाई पूर्ण होने की तिथि से 30 दिन अधिक) के पश्चात् ओआईओ पास किये। इन विलम्बों में से दो तिहाई में एक महीने से अधिक देरी थी। 14 मामलों में ऐसी देरी एक वर्ष से अधिक थी।

जब हमने इसे बताया (जून 2014 से अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने अधिकांश मामलों में तथ्यों को स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2015) और बताया कि यह स्टॉफ की अत्यधिक कमी, लगातार न्यायिक प्राधिकार बदलने, बुनियादी

²⁷ गुवाहाटी, कोलकाता एसटी, शिलोंग, राँची, दिल्ली एसटी, दिल्ली एसटी-I, दिल्ली एसटी-IV, चंडीगढ़-I, पंचकूला, अहमदाबाद एसटी, वडोदरा I, राजकोट, जयपुर I, जयपुर II, अलवर और उदयपुर

²⁸ परिपत्र सं. 130/12/2010-एसटी दिनांक 20 सितम्बर 2010

²⁹ गुवाहाटी, बोलपुर, शिलोंग, चंडीगढ़ I, पंचकूला, नोएडा, मुंबई एलटीयू, औरंगाबाद, विशाखापट्टनम I, हैदराबाद एसटी, कालीकट, कोचीन, कोयम्बटूर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दिल्ली एसटी, दिल्ली एसटी-I और दिल्ली एसटी III।

बाधाओं, मामलों में अत्यधिक अभिलेख, निर्धारितियों द्वारा अतिरिक्त अभिलेखों की देर से प्रस्तुति आदि के कारण था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि किसी भी मामले में न्यायिक आदेश पीएच पूर्णता तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए था।

2.7 मॉनीटरिंग और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

मॉनीटरिंग और आंतरिक नियंत्रण एक समेकित प्रक्रिया है जो जोखिम की पहचान करती है और प्रणाली एवं प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता तथा पर्याप्तता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती है। हमने इस संबंध में निम्नलिखित कमियों देखें।

2.7.1 कॉल बुक मामलों की समीक्षा

बोर्ड के परिपत्र दिनांक 14 दिसम्बर 1995³⁰ के अनुसार उन मामलों को कॉल बुक को स्थानांतरित किया जा सकता है जहाँ विभाग ने उपयुक्त प्राधिकारी को अपील किया हो, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई हो, जहाँ बोर्ड ने मामलों को कॉल बुक में रखने का विशेष आदेश दिया हो।

बोर्ड ने फिर से जोर दिया³¹ कि कॉल बुक मामलों की प्रतिमाह समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक, निरीक्षण (सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क) ने फिर से यह कहते हुए कि कॉल बुक मामलों की समीक्षा से कॉल बुक में गैर पुष्ट माँगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी हो सकती है, मासिक समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया (दिसम्बर 2005)।

नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि आठ कमिशनरियों³² में कॉल बुक में पड़े 64 मामलों में विभाग द्वारा मामलों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी। तीन उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

³⁰ बोर्ड का परिपत्र सं. 162/73/95-सीएक्स दिनांक 14 दिसम्बर 1995

³¹ डीओ फा. सं. 101/2/2003-सीएक्स-3 दिनांक 3 जनवरी 2005

³² कोलकाता एसटी, वडोदरा I, दिल्ली एसटी, दिल्ली एसटी-I, दिल्ली एसटी-II, दिल्ली एसटी-III, दिल्ली एसटी-IV और दिल्ली एलटीयू

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

- i) कोलकाता सेवा कर कमिशनरी में 20 मामले सितम्बर 2008 से समीक्षा किए बिना कॉल बुक में पड़े थे। महानिदेशक, सेवा कर, मुंबई और निरीक्षण महानिदेशालय, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद (पूर्वी क्षेत्र इकाई) ने 2012 और 2013 में अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में भी कॉल बुक मामलों की आवधिक समीक्षा का सुझाव दिया था। अभी तक इसका पालन नहीं किया गया था।
- ii) वडोदरा-I कमिशनरी के अंतर्गत मंडल-III में कॉलबुक में पड़े सात मामलों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।
- iii) दिल्ली एसटी कमिशनरियों और एलटीयू कमिशनरी, दिल्ली में कॉल बुक में पड़े 37 मामलों की मासिक समीक्षा नहीं की गई थी।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2015), मंत्रालय ने अधिकांश मामलों में तथ्यों को स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2015) और कहा कि उन्होंने कॉल बुक मामलों की समीक्षा शुरू की है।

2.7.2 कॉल बुक में मामलों का पड़े रहना

बोर्ड के दिनांक 3 फरवरी 2010³³ के अपने पत्र फा. सं. 206/02/2010-सीएक्स-6 नई दिल्ली में स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे मामले जहाँ विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की गई हो, और इसे सेरा द्वारा एसओएफ/ डीएपी में नहीं बदला गया हो, तो उक्त लेखापरीक्षा आपत्ति के लिए जारी एससीएन पर लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर भेजने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के बाद निर्णय किया जा सकता है। हालांकि अधिनिर्णयन से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लेखापरीक्षा आपत्ति को एसओएफ/ डीएपी में नहीं बदला गया है।

सात कमिशनरियों³⁴ में ₹ 22.35 करोड़ मूल्य वाले 52 मामले अनुचित रूप से कॉल बुक में रखे पाए गए थे। इस त्रुटि के कुछ कारण मामले को कॉल बुक में स्थानांतरित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का गैर-अनुमोदन, कॉल बुक में पैरा लंबित रखे जाने जबकि समान मामलों में उच्च प्राधिकारियों द्वारा निर्णय दिए गए थे और सेरा पैरा को चुनौती देने के आधार पर कॉल बुक में पैरा

³³ फा. सं. 206/02/2010-सीएक्स 6 नई दिल्ली, दिनांक 03 फरवरी 2010

³⁴ बोलपुर, कोलकाता एसटी, बैंगलुरु एलटीयू, बैंगलुरु एसटी, दिल्ली एसटी, भोपाल और इंदौर

लंबित रखना जबकि इन मामलों मे सेरा द्वारा कोई एसओएफ/डीपी जारी नहीं किया गया था या सेरा द्वारा पैरा बंद किए गए थे, आदि।

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2014 से अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने अधिकांश मामलों में तथ्यों को स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2015) और आगे बताया कि जहाँ भी आवश्यक था, कॉल बुक से मामले निकाले जा रहे हैं।

2.7.3 एमटीआर के माध्यम से रिपोर्टिंग का निगरानी तंत्र

बोर्ड ने कमिशनरों एवं मुख्य कमिशनरों को अधिनिर्णयन वाले मामलों के लंबन के कारणों का विश्लेषण करने तथा मानीटरींग प्रणाली को मजबूत करने का निर्देश दिया था (मई 2003)³⁵। इसके अतिरिक्त, विभाग के पास आवधिक रिपोर्टिंग प्रणाली है अर्थात् अधिनिर्णयन, लंबन के कारण, गैर-पुष्ट माँग, लंबित कॉल बुक मामले आदि से संबंधित मामलों की निगरानी एवं उनके निपटान मासिक तकनीकी रिपोर्ट हैं। इसमें से कुछ की डीजीआईसीसीई द्वारा तथा अन्य की डीजीएसटी द्वारा निगरानी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, विभाग को मासिक लेखापरीक्षा निगरानी समिति की बैठक में इसका अनुमोदन लेने के पश्चात् आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित “लेखापरीक्षा अनुवर्ती पंजिका” बनानी पड़ती है। प्रत्येक सेरा आपत्ति को सेरा आपत्ति कक्ष के पंजिका में नोट किया जाता है। इसी प्रकार प्रति-अपवंचन कक्ष में प्रत्येक संसूचना पर आरएसटी-5 (पूर्व में 335जे) पंजिका बनाई जानी चाहिए।

डीजीआईसीसीई, नई दिल्ली की क्षेत्रीय ईकाई आवधिक रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करती है। सीबीईसी की सहायता हेतु डीजीआईसीसीई अधिनिर्णयन मामलों की प्रगति के साथ-साथ उसकी निगरानी एवं मूल्यांकन भी करता है।

हमने 13 कमिशनरियों³⁶ में नमूना जाँच में देखा कि निर्धारित विभिन्न पंजिकायें या तो नहीं बनाई थीं अथवा अपूर्ण थीं। एससीएन पंजिका में एसीएन जारी करने की निर्धारित तिथि का कोई कॉलम नहीं था। ऐसे मामलों

³⁵ पत्र सं. 296/2/2003-सीएक्स दिनांक 23 मई 2003

³⁶ कोलकाता एसटी, शिलांग, बडोदरा ।, राजकोट, मुंबई एसटी-।, मुंबई एलटीयू, औरंगाबाद, भुवनेश्वर ।, इंदौर, भोपाल, दिल्ली एलटीयू, नोएडा और राँची

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

से संबंधित कोई रिपोर्टिंग प्रणाली नहीं थी जहाँ एससीएन जारी किया जाना था और एमटीआर में रिपोर्टिंग की कोई संभावना नहीं थी।

इस प्रकार, इसने एससीएन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया से संबंधित निगरानी एवं कार्यप्रणाली में कमियाँ दर्शाई।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2015), मंत्रालय ने अधिकांश मामलों में तथ्यों को स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2015) और कहा कि आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं और तत्पश्चात् ठीक से अभिलेख अनुरक्षित किये जाएंगे।

इसके अलावा, हमने मुख्य कमिश्नर, भुवनेश्वर जोन और भुवनेश्वर-1 कमिश्नरी द्वारा सेवा कर महानिदेशालय, मुम्बई को प्रस्तुत की गई भुवनेश्वर-1 कमिश्नरी की मार्च 2014 की एमटीआर में अधिनिर्णयन के लंबन के आंकड़ों में विसंगति देखी, जो निम्नलिखित है:-

(31 मार्च 2014 तक लंबित अधिनिर्णयन)

| स्रोत | मुख्य कमिश्नर की रिपोर्ट | | कमिश्नर की रिपोर्ट | |
|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | संख्या | राशि (₹ लाख में) | संख्या | राशि (₹ लाख में) |
| ओबी | 390 | 45147.11 | 383 | 53331.09 |
| प्राप्तियाँ | 05 | 3935.00 | 20 | 339.57 |
| कुल | 395 | 49082.11 | 403 | 53670.66 |
| निपटान | 14 | 1946.02 | 13 | 151.61 |
| सीबी | 381 | 47136.09 | 390 | 53519.05 |

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2014), कमिश्नर, भुवनेश्वर द्वारा लेखापरीक्षा को एक संशोधित विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके आंकड़े भी मुख्य कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुरूप नहीं थे।

2.7.4 एससीएन तैयार करने और जारी करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण

विभाग की ड्रॉफ्ट अधिनियम नियमावली के अनुसार एससीएन अस्पष्ट, संदेहास्पद या विरोधाभासी नहीं होनी चाहिए। एक मुद्दे पर दो दो एससीएन जारी करना कानूनी रूप से उचित नहीं है।

हमने देखा कि चार कमिश्नरियों³⁷ में छ: मामलों में, एक मुद्दे पर दो बार माँग की गई थी और उक्त आधार पर अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा छोड़ दिया गया था। तीन मामलों में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (नवम्बर 2015)। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया कि तीन मामलों में दूसरा एससीएन जारी करने में कोई अनियमितता नहीं थी। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने यह कहते हुए सभी तीन मामलों में दूसरा एससीएन छोड़ दिया था कि एक मुद्दे पर दो बार एससीएन जारी करना कानूनी रूप से उचित नहीं था। दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है।

2.7.4.1 नोएडा कमिश्नरी में, डिश टी.वी. इंडिया को अवधि (वि व 07 से वि व 11) के संबंध में रिवर्स प्रभार के अंतर्गत ₹ 1.25 करोड़ राशि के सेवा कर के लिए एससीएन जारी किया गया था (मार्च 2013)। निर्धारिती ने बताया कि उसी अवधि के लिए (वि व 07 से वि व 11) इसी मुद्दे पर दूसरा एससीएन जारी किया गया था। अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा यह भी आदेश दिया गया था (मार्च 2014) कि माँग वापस ले ली गई थी क्योंकि नवम्बर 2012 में इस माँग की पुष्टि हो गई थी। इस प्रकार एक ही और समान मुद्दे पर दो एससीएन जारी करना उचित नहीं था।

जब हमने बताया (मई 2014), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2015), और बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को माँग जारी करते समय सभी सावधानियाँ बरतने के निर्देश दिए गए थे।

2.7.4.2 शिलांग कमिश्नरी में, बीएसएनएल, मणिपुर एसएसए, इम्फाल को ₹ 59.18 लाख के सेवा कर की माँग हेतु एससीएन जारी किया गया था (अगस्त 2010), जबकि जून 2008 में ही इस मांग पर निर्णय हो गया था। हालांकि अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने एक मुद्दे पर दोहरा निर्णय देने से बचने के लिए इस मुद्दे को छोड़ दिया था (नवम्बर 2011)। अतः एससीएन जारी करने में त्रुटि थी।

इस प्रकार, इस संबंध में विभाग में उचित निगरानी तंत्र न होने के कारण एक मुद्दे पर दो बार एससीएन जारी हुआ।

³⁷ गुवाहाटी, शिलांग, कोलकाता एसटी और नोएडा

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि आगे के दिशा-निर्देशों हेतु बिन्दु नोट कर लिए गए थे।

2.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एससीएन जारी करने के पहले कदम से इसके अधिनिर्णयन तक इसमें देरी और कमियाँ थीं। प्रशासनिक दक्षता के लिए आवश्यक है कि कार्य न्यूनतम संभव समय में किया जाए। अधिकतम समय-सीमा कार्य पूर्ण करने की आखिरी सीमा निर्धारित करती है। एससीएन जारी करने की निर्धारित समय सीमा एक वर्ष थी जिसे विशेष परिस्थितियों में पाँच वर्ष तक बढ़ाए जाने का प्रावधान था। लेकिन इसके बावजूद, यह देखा गया कि विस्तारित अवधि को असाधारण अपवाद की बजाए सामान्य प्रावधान के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। अतः सुनियोजित निगरानी द्वारा एससीएन जारी करने और इसकी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में देरी कम करने की आवश्यकता है ताकि सरकारी राजस्व और निर्धारिती, दोनों के हितों की सुरक्षा की जा सके।